International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 11-03-2022, Accepted: 26-03-2022, Published: 12-04-2022
Volume 8, Issue 2, 2022, Page No. 96-99

शैक्षिक उन्नयन और बुनियादी सुविधाएँः अंतर्संबंध

धनन्जय सिंह यादव
प्रौढ़ शिक्षा विभाग, (शैक्षिक अध्ययनशाला), डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार विमर्श हो रहा है। कई दस्तावेजों एवं आकड़ों में भी शिक्षायी गुणवत्ता के खराब परिणाम हमारे नीति–निर्माताओं तथा शिक्षा–व्यवस्था से जुड़े लोगों को परेशान करते है। शिक्षा में गुणवत्ता का मसला नया नहीं है बल्कि आजादी के बाद से ही हमारे नीति–निर्माताओं ने शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त की तथा अनेक नीतियों में गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने हेतु व्यापक प्रयास करने पर बल दिया गया। अनेक प्रयासों के बावजूद भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था न सिर्फ गुणात्मक बल्कि मात्रात्मक रूप से भी काफी पिछड़ी हुई है। आज भी शासकीय विद्यालयों में मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव देश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में एक प्रमुख बाधा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थिति है। शिक्षा में गुणवत्ता का मसला संख्यात्मक रूप में सुधार से भी काफी गहरे रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना मात्रात्मक सुधार के गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल है, इसलिए शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु संख्यात्मक सुधार बहुत ही आवश्यक है।
प्रस्तुत शोध आलेख प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और उनके अंतर्संबंधों को समझने का प्रयास है।

मूल शब्दः शैक्षिक उन्नयन, गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाएँ।

प्रस्तावना
भारत विश्व की बृहदतम् शिक्षा प्रणाली वाले देशों में से एक है। भारत में शिक्षा प्रणाली की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का व्यापक स्वरूप मौजूद है। करीब 11 लाख से अधिक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की मौजूदगी इसकी विशालता का परिचायक है, इसकी विशालता का एक और परिचय प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण भी है *(स्वामीनाथन : 2016)*। भारत में शिक्षा के कई प्रारूप या माध्यम देखे जा सकते हैं।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से दो स्वरूपों में विभाजित है। *पहली* वह जो सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक विद्यालय पर आधारित है जिसका संचालन सरकार (केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकायों) द्वारा तथा *दूसरी* शिक्षा व्यवस्था समाज के साधन संपन्न लोगों द्वारा, ट्रस्टों एवं वेलफेयर सोसाइटियों द्वारा संचालित निजी विद्यालयों की है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था में अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा विमर्श हो रहा है तो वह विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर है। समाज के संपन्न लोगों द्वारा संचालित निजी विद्यालयों को भ्रमवश गुणवत्ता का सूचक मान लिया गया है। हालाँकि गुणवत्ता के विषय में जो सरोकार रहा है वह बहुत ही अस्पष्ट तथा सामाजिक सिद्धान्तों से गहनतापूर्ण सम्बद्ध नही रहा है। वैश्विक स्पर्धा से जुड़ी प्रक्रियाओं व अपरिहार्यताओं तथा तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों एवं आर्थिक अनिश्चितता के प्रभाव ने एक संरक्षणात्मक माहौल में पलने–बढ़ने तथा शिक्षित होने का बच्चों का अधिकार छीन लिया है *(कुमार : 2010)*।
अभिभावक भी अब यह मान चुके हैं कि सरकारी विद्यालय गुणवत्ताविहीन तथा निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता सम्बन्धी धारणा छात्रों द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित होती है। परीक्षा में छात्र के अंक प्राप्ति के आधार पर निर्मित धारणा शिक्षा को सिर के बल खड़ा कर देती है। यह मानवीय परिस्थितियों की समझ की न्यायसंगत प्रधानता को और उसमें व्यक्ति की स्वयं की भूमिका खोजने के प्रयास को गौड़ महत्व का बना देती है *(धनकर : 2010)*।
निजी एवं सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रचलित ये धारणाएँ अभिभावकों के मन में बहुत ही दृढ़ हो गयी है। अभिभावकों के दृष्टिकोण में इस प्रकार की धारणा कोई अचानक या बेवजह ही नही उत्पन्न हो गयी है, बल्कि इसके पीछे उनका एक लम्बा शिक्षायी अनुभव रहा है, जिसके आधार पर अभिभावकों के मानस पटल पर सार्वजनिक विद्यालयों के प्रति नकारात्मक धारणा को पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मजबूती मिली है। पिछले कुछ वर्षों में निर्मित परिदृश्य के आधार पर बात करें तो सार्वजनिक विद्यालयों में न सिर्फ गुणात्मक रूप से बल्कि मात्रात्मक रूप में भी कमी दर्ज की गयी है। एक तरफ जहाँ अत्याधुनिक सुविधासंपन्न, बहुमंजिला एवं आधुनिक कक्षों से परिपूर्ण निजी विद्यालय हैं, तो दूसरी तरफ उनके मुकाबले मूलभूत सुविधाविहीन, जीर्ण अवस्था के सार्वजनिक विद्यालय हैं। सार्वजनिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार अनेक कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावी कारण हैं, वह है प्रशासनिक असहयोग। सार्वजनिक विद्यालयों में शिक्षण कक्षों का आभाव, अध्यापकों की कमी, बहुकक्षायी शिक्षण की संस्कृति एवं शिक्षण सहायक सामग्री तथा अन्य विद्यालयी सुविधाओं का अभाव, सार्वजनिक शिक्षा की दुर्दशा के प्रमुख कारण हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन के आधार पर विद्यालयों की संरचना तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं का शैक्षिक संदर्भ में अध्ययन करने एवं उन्हें व्याख्यायित करने का प्रयास अध्ययनकर्ता द्वारा किया गया हैं। यह शिक्षायी अनुभव शोधार्थी का अपना व्यक्तिगत अनुभव है जिसे क्षेत्र अध्ययन कार्य (फील्ड वर्क) के दौरान अवलोकन के आधार पर प्राप्त किया गया है। वस्तुतः क्षेत्र अध्ययन कार्य प्रारम्भिक शिक्षा के शासकीय विद्यालयों से सम्बंधित रहा है इसलिए इस समस्या के आलोक में भी शासकीय विद्यालय ही हैं।

विद्यालयों की अंतःक्रिया में अनेक घटक आपस में जुड़े होते हैं तथा ये सभी मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते है, इन घटकों में जो घटक मुख्य रूप से जुड़े होतें है उनमें से (समाज, पाठ्यचर्या, सरकार, विद्यालय, बच्चें, अध्यापक, अभिभावक, भौतिक संशाधन, शासन नीति एवं परिवेश) कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये सारे तत्व आपस में इस तरह से संरचित होतें हैं कि किसी न किसी रूप में एक–दूसरे को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित अवश्य करतें हैं। इन सब कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है शासन–नीति जिसका निर्धारण होता है –राजसत्ता द्वारा।

राजसत्ता इन सभी कारकों में सबसे अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली होती है तथा वह किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्धारण जनभावनाओं के अनुरूप करती है खासतौर से लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में। क्योंकि लोकतंत्र की सफलता में उच्च कोटि की शिक्षायी चेतना की प्रमुख भूमिका होती है, दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा लोगों में जागरूकता पैदा करती है तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को पोषित करती है। शिक्षा एवं लोकतंत्र के अन्तर्सम्बन्धों के विषय में जॉन ड्यूवी का कहना था कि, *'शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा नीरस तथा मृतप्राय है'* (नायक : 2006)।

जनतंत्र की खूबसूरती भी इसी बात में है कि वह लोक–कल्याण एवं मानवीय हितों को सर्वोपरी मानते हुए उनके विकास का सदैव प्रयास करता है। राजसत्ता द्वारा सामाजिक व्यवस्थायें बनाये रखने हेतु अनेक संस्थागत प्रयास किये जाते हैं, उन्हीं में से एक व्यवस्था है 'शिक्षा'। हालाँकि शिक्षा के अनेक रूप बताये गयें है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों मे जो सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रभावी भूमिका में है, वह है शिक्षा की औपचारिक प्रक्रिया और शिक्षा की औपचारिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है 'विद्यालय'। विद्यालय को सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्माण स्थल माना जाता है क्योंकि सामाजिक प्रक्रियायें एवं विद्यालयी प्रक्रियाएं बहुत सारे मामलों में समरूपता लिए हुए होंती हैं, इस तरह विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।

विद्यालय न सिर्फ समाजीकरण की प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को भी रेखांकित करते हैं जो शिक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। इन तमाम मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा की गुणवत्ता का भी है। शिक्षा की गुणवत्ता को कम करनें या बढ़ानें में भी कई कारक होते हैं। गुणवत्ता का एक पहलू उपलब्ध बुनियादी सुविधाएँ भी होती है क्योंकि जब गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है तो आधारभूत सुविधाएँ भी समान महत्व रखती हैं। आधारभूत सुविधाएँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग हैं, क्योंकि आधारभूत सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं तो अध्यापकों एवं छात्रों को शैक्षिक साधनों, संशाधनों एवं सेवाओं का बृहद दायरा मिल जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम को सहायता प्रदान करता है *(खुमालो एवं मजी : 2014)*।

जिन विद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाएँ मौजूद होती हैं उन विद्यालयों के बच्चों में शिक्षण के प्रति आत्मसंतुष्टि का स्तर, कम सुविधा संपन्न विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर होती है, तथा निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि जिन विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं वहां के बच्चे कम सुविधा वाले विद्यालयों की अपेक्षा बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं *(कयवेर्स एवं वीर्ड : 2011)*। इस तरह देखते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि एवं आधारभूत सुविधाओं के बीच गहरा सम्बन्ध है।

प्रस्तुत अध्ययन में, अध्ययन क्षेत्र के रूप में सागर जिले के केसली विकास–खंड को लिया गया है, जो मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जिले का यह एक ऐसा भाग है जिसमें स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं तथा इन परिस्थितियों में यहाँ पर किसी भी तरह के विकास की उम्मीद रखना अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल है, फिर चाहे बात विद्यालयों की ही क्यों न की जाये। शिक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा है तथा मुख्यालय से दूरी भी अधिक है। तमाम सरकारी शालाओं की भांति यहाँ भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या निजी विस्यालयों में जाने वाले छात्रों की अपेक्षा कम है, तथा सरकारी विद्यालयों में आने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हांसियेकृत समूह से सम्बंधित है उनमें भी बालिकाओं की संख्या बालकों से अधिक है। यहाँ पर उल्लेखित सरकारी शालाओं में आने वाली बालिकाओं की अधिक संख्या से तात्पर्य यह है कि बालिकाओं का अधिक नामांकन सरकारी शालाओं में हुआ तथा बालकों का अधिक नामांकन उन निजी विद्यालयों में हुआ है जिन्हें वर्तमान में गुणवत्ता का सूचक माना जाने लगा है।

विद्यालयों में नामांकन को भी शिक्षायी विकास के एक सूचक के रूप में शिक्षा–व्यवस्था में स्वीकार किया गया है तथा यह समझा जाने लगा है कि यदि विद्यालयों में नामांकन हो गया तो शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल ही रही होगी, किन्तु वास्तविक स्थितियां इसके विपरीत हैं। क्योंकि जितनी बाधाएँ घर और शाला के बीच में होती हैं उससे कहीं अधिक रूकावटें विद्यालयों के अन्दर या उनकी गतिविधियों में निहित होतीं हैं।

विद्यालयों मे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ती न होने से न केवल शिक्षायी गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न होता है, बल्कि बच्चों के अधिगम पर भी विपरीत असर पड़ता है, बच्चों की वे आवश्यकताएं जो शैक्षणिक प्रक्रियाओं से इतर होती हैं वे भी विद्यालयी संरचना में काफी महत्वपूर्ण होतीं हैं।

गैर–शैक्षणिक बुनियादी जरूरतों में उन कुछ भौतिक सुविधाओं को सम्मिलित कर सकते हैं जो शैक्षणिक प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक बन जाती हैं। जिनमें मुख्य रूप से खेल का मैदान, कक्षा–कक्ष की उपलब्धता, शौचालय की उपलब्धता और पेयजल की व्यवस्था आदि हैं। ये आंशिक रूप में गैर–शैक्षणिक सुविधाएँ शिक्षण प्रक्रिया में इतनी महत्वपूर्ण होतीं हैं कि सहायक शैक्षणिक प्रक्रियाएं कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है।

अध्ययन में सम्मलित विद्यालयों में सर्वेक्षण के दौरान जो सबसे मुख्य समस्या दिखायी दी उनमें पेयजल की अनुपलब्धता, संरचित पुस्तकालयों का अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, कक्षा–कक्ष, शिक्षण–सहायक सामग्री का अभाव प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र में आने वाले अधिकतर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पेयजल की अनुपलब्धता बनी हुई है, विद्यालयों में गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या प्रमुख रूप से सामने आती है। जिन विद्यालयों में हैंडपंप हैं वे भी गर्मी अधिक होने के कारण पानी देने में सक्षम नही हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों द्वारा पेयजल घर से बोतल में लेकर आना या विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों द्वारा कहीं–कहीं घड़े की व्यवस्था करने से ही पेयजल उपलब्ध हो पाता है। जिन स्थानों पर समुदाय द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त होता है वहां बच्चे एवं अध्यापक पानी की समस्या से बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थितियां पेयजल की अनुपलब्धता को और अधिक कठिन बना देती है। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भयानक हो जाती है, खासतौर से तब, जब इसके दायरे में मासूम बच्चे (प्रारम्भिक स्तर के) हों। गर्मियों के दिनों में अध्ययन क्षेत्र का यह मंजर न सिर्फ भयावह लगता है बल्कि यह उन तमाम प्रावधानों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जिसे हम संवैधानिक अधिकार मानते हैं, क्योंकि जो राजसत्ता अपने देश के मासूमों को पेयजल (शुद्धता की बात अभी सम्मलित नही है) नहीं उपलब्ध करा सकती तब तक न संवैधानिक लक्ष्य हासिल किये जा सकते हैं न ही शिक्षायी गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त अगर विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में बात करें तो शौचालयों की उपलब्धता या अनुपलब्धता एक ऐसा पहलू है जिसका प्रभाव नामांकन पर प्रमुखता से पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र की वस्तु–स्थिति के आधार पर देखें तो क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में बने शौचालयों में नियमित साफ–सफाई का अभाव है। साफ–सफाई के अभाव में कई विद्यालयों के शौचालय प्रयोग योग्य नही रह गये हैं। जहाँ पर शौचालय प्रयोग योग्य नहीं हैं वहाँ पर बालकों द्वारा खुले में जाना आम बात है। बालिकाओं के लिए बने शौचालयों में साफ–सफाई न होने के कारण बालिकाओं को स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। शौचालयों की अनुपलब्धता या अव्यवस्था विद्यालयी व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है बावजूद इसके कि विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता एवं साफ–सफाई के सन्दर्भ में वैश्विक स्तर पर विशेष प्रयास जारी है।

वैश्विक स्तर पर विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता एवं साफ–सफाई पर जोर देते हुए यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट *रेजिंग क्लीन हैंड्स : एडवॉसिंग लर्निंग, हेल्थ एंड पार्टिसिपेशन थ्रू वाश इन स्कूल्स* में माना है कि विद्यालयों में साफ पेयजल एवं शौचालय इत्यादि की अनुपलब्धता न सिर्फ उनके शिक्षायी गुणवत्ता को बाधित करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी इन सब चीजों का विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है, जो बच्चों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। आकड़े बताते हैं कि विद्यालयों में साफ–सफाई के परिणामस्वरूप स्वच्छता में सुधार, विद्यालय में उपस्थिति में वृद्धि तथा शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है।

मनोवैज्ञानिकों ने भी शारीरिक आवश्यकताओं को प्राथमिक आवश्यकताएँ माना है तथा उनका मानना है कि जब तक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ती नही हो जाती तब तक मनुष्य सामान्य व्यवहार नहीं कर सकता तथा अन्य आवश्यकताएँ गौण हो जाती हैं एवं उनके प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया बच्चा नहीं कर सकता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्यास (शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकता) शिक्षा के विकास में बाधक के रूप में उपस्थित होती है।

इसके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में पुस्तकालयों का भी अभाव है। पुस्तकालय के नाम पर बहुत से विद्यालयों (कुछ को छोड़कर) में किसी कक्ष में एक या दो आलमारी के सेल्फ कोने में रख दिए गये हैं जिसे शासकीय रिकार्ड में पुस्तकालय का नाम दे दिया गया है। इन पुस्तकालयों में पुस्तकों का सीमित मात्रा में उपलब्ध होना तथा उपलब्ध पुस्तकों का छात्रों द्वारा प्रयोग न होना आम बात है। विद्यालयों में पुस्तकालयों के नाम पर केवल सरकारी रिकार्ड को दुरूस्त करने के उद्देश्य से शिक्षण कक्ष के एक कोने में रखी कुछ किताबों को पुस्तकालय का नाम दे दिया गया है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु शासन स्तर पर आदेश जारी करने के अतिरिक्त कोई विशेष प्रयास नही किया गया है। जैसे– पुस्तकालय हेतु पृथक कक्ष, बाल साहित्य से सम्बंधित अन्य प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद पुस्तकें, शिक्षण–सहायक सामग्री इत्यादि। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि शासन स्तर पर पुस्तकालय के व्यवस्थापन हेतु विशेष प्रयास किया जाय।

कुल मिलाकर अगर हमें शिक्षायी गुणवत्ता को बढ़ाना है तो सबसे पहले मूलभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा और खासकर पेयजल जैसी समस्या को व्यापक समस्या के रूप में मानकर इसके निराकरण के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है तभी हम शिक्षायी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की तरफ आगे बढ़ पायेंगे। शैक्षिक उन्नयन या गुणात्मक बदलाव हेतु मौलिक सुविधाओं (कक्षा–कक्ष, शिक्षक, स्वच्छ शौचालय, पुस्तकालय) इत्यादि में सुधार किये बिना गुणात्मक उन्नयन की कल्पना नहीं की जा सकती।

निष्कर्ष

क्षेत्र अध्ययन कार्य के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों की यथास्थिति को देखने से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के विकास में भूमिका निभाने वाले अनेक कारकों में से विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का भी प्रमुख स्थान है। मौलिक सुविधाओं के अंतर्गत पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षा–कक्ष की उपलब्धता, शिक्षण सहायक सामग्री, पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन इत्यादि शामिल हैं। उपरोक्त सारे तत्व पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित है। इनमें से कुछ तत्व गैर शैक्षणिक होते हुए भी शिक्षण–सहायक के रूप में शैक्षणिक बन जाते हैं। इन तत्वों की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता का सीधा प्रभाव शिक्षायी गुणवत्ता पर पड़ता है। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत जहाँ एक तरफ कुछ बिन्दु शैक्षिक प्रक्रियाओं से सम्बंधित हैं तो वहीं दूसरी तरफ शारीरिक आवश्यकताओं से भी सम्बंधित हैं।

अध्ययन क्षेत्र में पेयजल की समस्या नीतिगत प्रावधानों एवं शासकीय आकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। एक तरफ जहाँ शासकीय आकड़ों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था दर्ज है वहीं धरातल पर मौजूद स्थिति इसके विपरीत है।

पेयजल की अनुपलब्धता का प्रभाव गर्मी के दिनों में बच्चों की उपस्थिति एवं उपलब्धि दोनों पर नकारात्मक रूप में पड़ता है। इसी प्रकार कक्षा–कक्ष की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप बहु–कक्षायी शिक्षण कार्य किये जाने के कारण छात्रों में एकाग्रता, सीखने के स्तर तथा कक्षायी गतिविधियाँ बुरी तरह से प्रभावित होती हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शैक्षिण गुणवत्ता में सुधार हेतु यह बहुत ही आवश्यक है कि विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाओं के साथ–साथ भौतिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। भौतिक सुविधाओं के पर्याप्त व्यवस्थापन के बगैर शैक्षिक गुणवत्ता को प्राप्त करना हमेशा संदेहास्पद बना रहेगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षिक गुणवत्ता के मध्य बहुत ही गहरा सम्बन्ध है। एक तरफ जहाँ विद्यालयों में मौजूद बुनियादी सुविधाएँ शैक्षिक उन्नयन में सहायता प्रदान करती हैं तो वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

संदर्भ

1. स्वामीनाथन, आनन्द (2016). आवर एक्सपेरिएंसेस विद द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, लर्निंग कर्व,
2. बैंगलोरः अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इशू XXV, जनवरी 2016, पेज– 40।
3. धनकर, रोहित. (2010). शिक्षा में गुणवत्ता का विचार. शिक्षा विमर्श, दिगंतर जयपुरः पृष्ठ 05–17।
4. खुमलो, बोंगनी एवं मजी. अन्दिले (2014). एक्सप्लोरिंग एजुकेटर्स परसेप्शन्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ
5. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन लर्निंग एंड टीचिंग इन रूरल साउथ अफ्रीकन स्कूल्स, मेडिटेरनियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस, रोम इटलीः एमसीएसईआरपब्लिशिंग, वॉल्यूम 05, न. 20, सितम्बर 2014, पेज– 1521–1532।
6. कयवेर्स, केटरिन एवं गिओ, डी वीर्ड (2011). वेल बीइंग एट स्कूल : डज इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर?, सेले
7. एक्सचेंज, ओईसीडी जनवरी 2011।
8. कुमार, कृष्ण (2010). इक्कीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में शिक्षा की गुणवत्ताः भारत की सीख, शिक्षा
9. विमर्श, जयपुरः दिगन्तर, मार्च–जून, 2010, पेज 33–46।
10. नायक, गोपाल प्रसाद (2006). लोकतंत्र एवं शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्लीः
11. एनसीईआरटी, वर्ष 25, संयुक्तांक 1–2, जुलाई–अक्टूबर, पेज 19।